रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 341] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 1986/आषाढ 17, 1908
No. 341] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 1986/ASADHA 17, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1986

अधिसूचना

सं. 361/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

का.आ.सि. 938 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

की प्रत्येक अधिसूचना का उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना सं और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1	55/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 फरवरी, 1986.	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं. 19 के सामने स्तम्भ (2) में "7213 00" अंकों के स्थान पर "7213 90" अंक रखे जायेंगे ।
2.	222/86-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 अप्रैल, 1986.	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं. 3 के सामने स्तम्भ (2) में "3921.22" अंकों के सामने पर "3921.12" अंक रखे जायेंगे ।

[फा.सं. 352/2/86-टी आर यू]

के.एस. वेंकटगिरि, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 8th July, 1986

NOTIFICATION

No. 361/86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. No. 938(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be denied the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	55/86-Central Excises, dated 10th February, 1986.	In the Table annexed to the said notification, against S. No. 1, in column (2), for the figures "7213 00", the figures "7213.90" shall be substituted.
2.	222/86-Central Excises, dated the 3rd April, 1986.	In the Table annexed to the said notification, against S. No. 3, in column (2), for the figures "3921.22", the figures "3921.12" shall be substituted.

[F. No. 352/2/86-TRU]
K. S. VENKATAGIRI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986